

बिहार सरकार
कृषि विभाग

सचिका संख्या-3/कृ. बजट आवंटन-14/2015 157 (आवंटन)/कृ. पटना, दिनांक 23-12-2015

Mail/Fax प्रेषक :

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (रसायन) गुण नियंत्रण, बिहार, पटना।

विषय:- कृषि रोड मैप के अधीन मिट्टी, बीज एवं उर्वरक जाँच प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण के लिए वर्ष 2015-16 में कुल ₹20,30,000 (बीस लाख तीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति के अधीन सामान्य श्रेणी के लिए ₹5,28,000 (पाँच लाख अठाईस हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹5,28,000 (पाँच लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-5540 दिनांक-07.12.2015 द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन मिट्टी, बीज एवं उर्वरक जाँच प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण के लिए वर्ष 2015-16 में कुल ₹20,30,000 (बीस लाख तीस हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति के अधीन सामान्य श्रेणी के लिए ₹5,28,000 (पाँच लाख अठाईस हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹5,28,000 (पाँच लाख अठाईस हजार रुपये) मात्र की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है।

क्र० सं०	स्वीकृत राशि			आवंटित राशि		
	वेतन	यात्रा व्यय	योग	वेतन	यात्रा व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	4,98,000	30,000	5,28,000	4,98,000	30,000	5,28,000
योग-	4,98,000	30,000	5,28,000	4,98,000	30,000	5,28,000

कुल--(पाँच लाख अठाईस हजार रुपये मात्र)।

2. उपरोक्त ₹5,28,000 (पाँच लाख अठाईस हजार रु०) मात्र की राशि का व्यय मुख्यशीर्ष "2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा", उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-004-अनुसंधान, माँग संख्या-1-उपशीर्ष-0107-मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण, विपत्र कोड- P2415010040107-राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5687 के अधीन विषयशीर्ष -0101 वेतन मद में-₹4,98,000 (चार लाख अन्तानवे हजार रुपये) मात्र का व्यय उपबंधित 500.00 लाख रुपये में से, विषयशीर्ष -1101- यात्रा व्यय मद में ₹30,000 (तीस हजार रुपये) मात्र का व्यय उपबंधित 5.00 लाख रुपये में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस राशि के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के बाद टी. भी. नम्बर के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रभु राम)
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक - 157 (ओक्टो) /कृ.पटना, दिनांक 23-12-2015
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Deep
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक - 157 (ओक्टो) /कृ. पटना, दिनांक 23-12-2015

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार पटना / कृषि निदेशक, बिहार पटना / निदेशक, पी०पी०एम० कृषि विभाग, बिहार पटना / निदेशक भूमि संरक्षण बिहार, पटना / निदेशक उद्यान बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक, (शष्प) योजना, बिहार पटना / संयुक्त निदेशक, (शष्प) शिक्षा -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी योजना-(सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Deep
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक - 157 (ओक्टो) /कृ.पटना, दिनांक 23-12-2015

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्प) सूचना बिहार, पटना / आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Deep
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना